सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

दूरभाष नं. 0141-2227884 ई-मेल: seprd1235@gmail.com
website : www.rajpanchayat.rajasthan.gov.in

क्रमांकः एफ.4(427) परावि/पीसी/जनघोषणा/2019/ 794 जयपुर, दिनांकः 07/02/19

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद -समस्त।

विषयः-राजस्थान सरकार की जनघोषणा पत्र के क्रियान्वयन अन्तर्गत 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत सडकों का निर्माण अनुदान राशि से करवाने के सम्बन्ध में ।

प्रसंगः- विभागीय समकक्ष पत्रांक 479 दिनांक 18.01.2019।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा राजस्थान सरकार के जनघोषणा पत्र के **बिन्दु संख्या 4.2-"प्रत्येक गांव की सड़कों की मरम्मत करना तथा जहां सड़क नहीं है, वहां RCC (Reinforced Cement Concrete) की नई सड़के बनाना तथा जल निकास हेतु समुचित ड्रेनेज सिस्टम को विकसित करना"** के संबंध में प्रत्येक ग्राम पंचायत में जहां सड़क नहीं है, वहां कम से कम एक इंटरलॉकिंग सड़क/सीमेन्ट सड़क का निर्माण तथा प्रत्येक ग्राम पंचायत को ड्रेनेज प्लान तैयार कर जल निकासी का समुचित प्रबन्धन ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कन्वर्जेन्स कर स्वीकृत करने के निर्देश दिये गये थे।

इस क्रम में यह स्पष्ट किया जाता है कि :-

1. गांव में ऐसी सड़कें जिनकी मरम्मत की जानी आवश्यक है अथवा जहां सड़क नहीं है वहां नवीन सड़क बनाना तथा जल निकास हेतु समुचित ड्रेनेज सिस्टम को विकसित करने हेतु व्यापक सर्वे किया जाकर प्रस्तावित को एसएफसी/एफएफसी योजना के दिशा निर्देशानुसार अनुदान राशि से करवाये जावेगें।
2. अपेक्षित स्वीकृति एसओपी के अनुसार जारी की जावेंगी।
3. अनुदान राशि से स्वीकृत होने वाले प्रत्येक कार्य की तकनीकी स्वीकृति पंचायत समिति/जिला परिषद स्तर पर कार्यरत अभियंताओं द्वारा ई-पंचायत पोर्टल से ऑनलाईन जारी की जानी है।

k.doc

4. इस गतिविधि के Capture करने हेतु ई–पंचायत में निम्नानुसार प्रावधान कर दिया गया है:–

कार्य>कार्य मेनेजमेंट>नया कार्य बनाना (जीपीडीपी)>कार्य बनायें>कार्य>फोकस एरिया, कार्य वर्ग, कार्य क्रम श्रेणी के बाद "विशेष घोषणा" की सूचना लेने हेतु विकल्प प्रस्तावित कर दिये गये है। इस संबंध में किसी भी अग्रिम जानकारी के लिए एसपीएमयू/डीपीएमयू से सम्पर्क किया जा सकता है।

5. इस क्रम में कराये जाने वाले कार्यो की प्रगति की समीक्षा इसी पोर्टल के माध्यम से पंचायत समिति/जिला परिषद स्तर पर की जावेगी।
6. प्रगति रिपोर्ट संलग्न प्रपत्र में Seprd1235@gmail.com पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करावे।

उक्त कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित समय मे किया जाना सुनिश्चित करावे, ताकि **राज्य सरकार की 100 दिवसीय कार्य योजना** की अनुपालना करायी जा सकें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

भवदीय, [redacted]

(एस.एस. सोहता)
शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपिः–

1. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद–समस्त।
2. विकास अधिकारी, पंचायत समिति–समस्त।
3. विभागीय सहायक प्रोग्रामर को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. रक्षित पत्रावली।

(मुकेश माहेश्वरी)
अधीक्षण अभियंता [redacted]

k.doc

अनुदान राशि (SFC/FFC) योजनान्तर्गत 100 दिवसीय कार्य योजना की प्रगति सूचना हेतु प्रपत्र

जिला परिषद.........................

क्र. स.	कार्य का नाम	योजना का नाम	18.01.18 के पश्चात स्वीकृत कार्यो की संख्या	ग्राम पंचायतो की संख्या जहां कार्य स्वीकृत किये गये है	कार्यो की भौतिक स्थिति		कुल व्यय (लाखो में)
					प्रगतिरत	पूर्ण	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सडक (मरम्मत) मय नाली						
2	सडक (नवीन) मय नाली						
3	केवल नाली निर्माण						
4	शमशान / कब्रिस्तान कार्य						

नोटः– कॉलम संख्या 3 से 5 की सूचना ई–पंचायत पोर्टल से ही ली जावेगी।